भारत सरकार
Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबधित वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वीं रिपोर्ट, (2011-12), 15वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS - 33RD REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE, (2011-12), 15TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE

मार्च, 2012
MARCH, 2012

विषय-सूची		INDEX	
क्रम संख्या **विषय वस्तु संख्या**	**पृष्ठ**	**Sl No. Contents**	**Page No.**
1. श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i-ii	1. Statement by Shri Pranab Mukherjee, Minister of Finance	i-ii
2. अनुबंध- वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय तथा विनिवेश विभाग) की **2011-12 की अनुदानों की मांगों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वीं रिपोर्ट** में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जिसे 30 जून, 2011 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।	1-24	2. Annexure- Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the **33rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2011-12** of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 30th June, 2011.	25-45

आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) 33वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) की निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73-क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित 33वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देने को अपना सौभाग्य मानता हूँ ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की **33वीं रिपोर्ट 30 जून, 2011** को लोक सभा में **प्रस्तुत** की गई। 33वीं रिपोर्ट अनुदानों की मांगों (2011-12) की जांच से संबंधित है। इस रिपोर्ट में, समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है और सोलह (16) सिफारिशें की हैं जिनके संबंध में सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है। ये सिफारिशें मुख्यतः प्रमुख राज्य आयोजना स्कीमों के तहत निधियों का कम उपयोग, मुद्रास्फीति, बजटीय सुधार, सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर, बैंकिंग सेवाओं का

STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 33rd REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (15th LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2011-12), RELATING TO THE DEPARTMENTS OF ECONOMIC AFFAIRS, FINANCIAL SERVICES, EXPENDITURE & DISINVESTMENT

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 33rd Report of the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) in pursuance of Direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha *vide* Lok Sabha Bulletin, Part II dated 1st September 2004.

The **33rd Report** of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) was **presented** to the Lok Sabha on **30th June, 2011**. The 33rd Report relates to examination of Demands for Grants (2011-12). In the Report, the Committee deliberated on various issues and made sixteen (16) recommendations, where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to the issues like underutilisation of

विस्तार, कृषि और कमजोर वर्गों को ऋण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बीमा नीतियों का अस्वीकरण और विनिवेश/नीति से संबंद्ध हैं।

रिपोर्टों में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी विवरणियां 30 सितम्बर, 2011 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थीं। 33वीं रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दिखायी गयी है।

मैं **अनुबंध** की विषय-वस्तु को पढ़कर सुनाने में सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

Funds under major State Plan Schemes, Inflation, Budgetary Reforms, Rate of Interest on General Provident Fund, Expanding Banking Services, Lending to agriculture and weaker Sections, Debt Recovery Tribunals, Repudiation of Insurance Policies, and Disinvestment Policy.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on 30th September, 2011. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 33rd Report is indicated in **Annexure**.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the **Annexure**. I would request that these may be taken as read.

अनुबंध

(वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग) की **लोक सभा में 30 जून, 2011 को प्रस्तुत की गई/राज्य सभा में /दि. 30 जून, 2011 को रखी गई स्थायी समिति की 33वीं रिपोर्ट** में समाविट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1	1	**समिति चाहती है कि वित्त मंत्रालय को इस मामले को तत्काल संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाना चाहिए ताकि अनुदान के उपयोग के किसी संदर्भ के बगैर वर्ष-दर-वर्ष नेमी तौर पर अनुदान प्रदान करने के बजाय इन अनप्रयुक्त अनुदानों की समीक्षा की जा सके। समिति ऐसी स्थिति नहीं चाहती जहां अनुदान बजट दस्तावेजों तक सीमित रहे और उनका कोई जमीनी परिणाम सामने न आए। इसलिए वित्त मंत्रालय को आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों दोनों को शामिल करते हुए तिमाही समीक्षा बैठकें बुलाई जा सकें ताकि कड़ी निगरानी रखी जा सके और धनराशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ में समिति सरकार का ध्यान विषम परिस्थिति की ओर आकर्षित करना चाहेगी जो केन्द्रीय धनराशि के संबंध में सामने आ रही है। इसे जमीन पर किसी स्पष्ट परिणाम के बगैर बजट प्रयोजनों के लिए पूर्णतः उपयोग किया हुआ दर्शाया जाता है। इस प्रकार समिति यह सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों को संवेदनशील बनाए ताकि उनके द्वारा तैयार किए हुए प्रस्ताव परिणामों पर और अधिक केन्द्रित हों। उन्हें पूरे वर्ष व्यय की समानता सुनिश्चित करते हुए वर्ष के अंत में आबंटन का बड़ा हिस्सा खर्च करने से भी बचना चाहिए।**	• व्यय प्रबंधन के लिए 11 जुलाई, 2011 को जारी किए गए अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि बजट प्राक्कलन में आबंटित धनराशि के एक तिहाई (33 प्रतिशत) तक धनराशि वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च की जा सकती है तथा आबंटित धनराशि के 15 प्रतिशत तक धनराशि मार्च के दौरान खर्च की जा सकती है। • 20 अक्तूबर, 2011 को वित्त सलाहकारों के साथ वित्त मंत्री की बैठक में वर्ष के शेष भाग में धनराशि की आवश्यकता के मूल्यांकन करने की आवश्यकता तथा मासिक एवं तिमाही व्यय योजना के अनुपालन हेतु राजकोषीय और वित्त प्रबंधन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के ईमानदारी से अनुपालन की आवश्यकता पर मुख्य रूप से बल दिया गया। • संशोधित प्राक्कलन स्तर पर बजट आबंटन उपलब्ध कराते समय पूर्वानुमानित व्यय की समीक्षा की जाती है। • अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए अनुदान की अगली किश्तें जारी किए जाने के लिए परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजट आबंटनों का स्कीम के दिशा-निर्देशों के मानदण्डों के अनुसार उपयोग हो तथा स्पष्ट परिणाम सुनिश्चित करने के लिए धनराशि के जारी किए जाने को परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति से जोड़ा जाता है।	स्वीकार कर ली गई है।	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
2	**2**	**मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रस्तुत सूचना से यह ज्ञात हुआ कि अप्रैल, 2010 में डब्ल्यूपीआई सूचकांक जहां 11 प्रतिशत था, वहीं यह कम होकर इस वर्ष अप्रैल में 8.31 प्रतिशत पर आ गया। तथापि, मंत्रालय ने अपने उत्तर में यह माना है कि यह गिरावट आधार वर्ष बदलने से संभव हुई है। इसके बावजूद, खाद्य सूचकांक जो अप्रैल, 2011 में 6.45 प्रतिशत था, समग्र मुद्रास्फीति का एक प्रमुख घटक बना हुआ है। हालांकि मंत्रालय ने यह कहा है कि सीपीआई-आईडब्ल्यू और डब्ल्यूपीआई में खाद्य सूचकांक सरकारी नीति बनाने और खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में मार्गदर्शी कारक हैं, समिति यह देखकर चकित है कि इन सूचकांकों को पुनःपरिभाषित करने में सरकार का दृष्टिकोण इतना ढुलमुल रहा है कि जहां डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004-05 कर दिया गया है, वहीं सीपीआई-आईडब्ल्यू हेतु वर्ष 2001 को अभी भी आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। इससे साफ दिखाई देता है कि इन सूचकांकों से उपजी परस्पर-विरोधी स्थितियों का नीति निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है जिससे जाहिर है कि इस तरह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के वांछित परिणामों को हासिल नहीं किया जा सकता। चूंकि ये थोक मूल्य नहीं हैं बल्कि सीपीआई द्वारा दर्शाए गए खुदरा मूल्य हैं, जो आम आदमी को अधिक प्रभावित कर रहे हैं, समिति सरकार से सिफारिश करेगी कि वह तत्काल आधार पर एक अधिक प्रातिनिधिक सीपीआई तैयार करे, जो मौजूदा स्फीतिकारी प्रवृत्ति को अधिक सही ढंग से प्रतिबिम्बित करे ।**	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जनवरी, 2011 से समग्र भारत और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से तथा संयुक्त रूप से आधार वर्ष 2010=100 के साथ सीपीआई की नई श्रृंखला की शुरूआत की है। देश में सीपीआई (शहरी) 310 शहरों को जबकि सीपीआई (ग्रामीण) में 1181 गांवों को शामिल किया गया है। नई सीपीआई श्रृंखला का भारांश आरेख एनएसएस के 61वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों (2004-05) से प्राप्त किए गए शहरी/ग्रामीण परिवारों के औसत मासिक उपभोक्ता व्यय के आधार पर तैयार किया गया है। वार्षिक मुद्रास्फीति दरें जनवरी, 2012 हेतु सूचकांक जारी करते समय उपलब्ध होगी, जब एक वर्ष के सूचकांक उपलब्ध होंगे।	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
3	3	**इसके अलावा, मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रस्तुत सूचना से समिति ने पाया है कि सरकार "मुद्रास्फीति के अतिरिक्त दो प्रतिशत को आर्थिक विकास को उप-परिणाम के तौर पर स्वीकारती है।" हालांकि सरकार ने कीमतें कम करने के लिए उपाय किए हैं; लेकिन उनकी अपर्याप्तता मुद्रास्फीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण में भली प्रकार से प्रतिबिंबित होती है, जिससे पता चलता है कि मुद्रास्फीति की वृद्धि से जुड़े अनेक अन्य जोखिम भी हैं जैसेकि लंबे समय से जारी उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का विनिर्माण क्षेत्र समेत सामान्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करना। समिति चाहेगी कि इस मामले में सावधानी बरती जाए क्योंकि बढ़ती कीमतों का केवल विकास से संबद्ध होने और प्रतिव्यक्ति आय के बढ़ने से जुड़ा होने की बात कहकर आत्म सन्तुष्ट होकर बैठ जाने का समय नहीं है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपायों के साथ कठोर प्रवर्तनकारी कार्रवाई की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि यदि मुद्रास्फीति पर ध्यान न दिया गया तो इससे मुद्रास्फीति पर बहुआयामी प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।**	डब्ल्यूपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति (भारांश 24.31 प्रतिशत) फरवरी, 2010 के 20.2 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर से गिरकर फरवरी-अक्तूबर, 2011 में 6.8 से 9.9 प्रतिशत के आस-पास बनी रही। सरकार मुद्रास्फीति कम करके इसे अधिक संतोषजनक स्तर पर लाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कार्य कर रही है। किए गए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों में ये शामिल हैं- दालों, खाद्य तेल (कच्चा) पर आयात शुल्क कम करके शून्य और परिष्कृत एवं हाइड्रोजनीकृत और वनस्पति तेलों पर कम करके 7.5 प्रतिशत किया गया; एक वित्त वर्ष में कुल 10000 मीट्रिक टन तक आयात करने के लिए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत वसारहित मिल्क पाउडर (एसएमपी) का शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया; दालों, धान और चावल के मामले में स्टॉक सीमा संबंधी आदेशों को बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2011 तक तथा खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के मामले में 31 मार्च, 2011 तक किया गया; चावल, उड़द तथा तूर के वायदा कारोबार को प्रतिबंधित किया गया।	स्वीकृत	
4	4	**समिति ने ध्यान में रखा है कि सरकार ने परिणाम के अनुरूप व्यय करके बजटीय सुधारों की शुरूआत की है। जबकि भविष्य के व्यय की बजटिंग/ योजना के दौरान वास्तविक व्यय के साथ तुलना करना एक आवश्यक निर्विष्टि है, फिर भी समिति यह ध्यान में रखती है कि ऐसे कई क्षेत्र अभी हैं जहां बजटीय प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता**	समिति के अवलोकनों को नोट कर लिया गया है।	लागू नहीं	ये समिति के अवलोकन हैं और इन्हें नोट कर लिया गया है

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		लाने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने जैसे सुधारों की आवश्यकता है, ये क्षेत्र जैसे व्यय का वर्गीकरण, वर्ष भर के व्यय आवंटनों में एकरूपता, संसाधनों के किफायती प्रयोग अथवा मूल मंत्रालय/विभाग की ओर से परियेाजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन न करने/देरी करने की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप हुई बचतों का निरूपण, किए गए अभ्यर्पणों से हुई बचतों की पहचान आदि।			
5	5	वित्त सचिव के प्रस्तुतीकरण से समिति ने पाया कि राजस्व और पूंजी व्यय का वर्गीकरण केन्द्र सरकार के लेखों में उचित प्रकार से दर्शाया नहीं जाता है क्योंकि आगे होने वाले पूंजी व्यय के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को भारत सरकार के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। समिति का यह विश्वास है कि ऐसे लेखांकन से केवल परिहार्य भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वास्तविक बजट निर्माण का पता नहीं चलता है। अतः सरकार को व्यय के बेहतर अनुमान और नीतियों को सही-सही दर्शाने के लिए व्यय के मौजूदा वर्गीकरण की समीक्षा हेतु उपाय शुरू करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति यह जानकर चकित है कि आशयित आयोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वित न होने के फलस्वरूप होने वाली बचतों/अभ्यर्पणों का हिसाब रखने की कोई सही प्रणाली नहीं है। बचतों को दर्शाने की मौजूदा प्रणाली अत्यन्त अस्पष्ट है और इससे दोषी मंत्रालय/विभाग की जवाबदेही निर्धारित नहीं होती है। समिति के दृष्टिकोण में बचत एक अनुपयुक्त नाम है क्योंकि यह अकुशल नियोजन और अप्रभावी मॉनिटरिंग	समिति को मध्यावधि समीक्षा के दौरान एक अनुदान में बचत की पहचान और अन्य अनुदान में अनुदानों की पूरक मांगों के जरिए अतिरिक्त व्यय का प्रावधान सहित बजटीय प्रक्रिया के मौखिक साक्ष्य के दौरान पहले ही अवगत कराया गया था। इस प्रकार, समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया है।	लागू नहीं	ये समिति के टिप्पणी हैं अतः इन्हें नोट कर लिया गया है

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		से संबंधित है। इस प्रकार, यह अधिक उचित होगा कि तीन शीर्षों नामतः बचत, निधियों के अल्प उपयोग/उपयोग न किए जाने को बजट में स्पष्ट रूप से अलग-अलग लिखा जाए। इससे सरकार को उपलब्ध निधियों के अधिक दक्षता से पुनः आवंटन में सहायता भी मिलेगी।			
6	**6**	**<u>सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर</u>** **समिति ने नोट किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत रही है। समिति यह चाहती है कि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर ब्याज की दर, जो 8 प्रतिशत पर स्थिर है, की भी समीक्षा कराई जाए जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को उस स्थिति में अब और नुकसान न उठाना पड़े जबकि बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर में भी बढ़ोत्तरी की जा चुकी है।**	सामान्य भविष्य निधि और अन्य सदृश निधियों पर ब्याज की दर में संशोधन सरकार के विचाराधीन है।	विचारधीन	
7	**7**	**समिति नोट करती है कि मार्च 2012 तक 73000 आवासीय स्थलों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए सरकार शाखा रहित बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए काफी हद तक बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेंटों/फैसीलिटेंटरों (बीसी/बीएफ) का सहारा ले रही है। मार्च, 2011 में बैंकों के पास 26,123 बीसी/बीएफ थे। यह देखने में आया है कि 129 बैंक रहित ब्लॉकों में से, अभी तक 59 ब्लॉकों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रकार अब भी 71 बैंक रहित ब्लॉक हैं, उनमें से अधिकांश (70 ब्लॉक) पूर्वोत्तर क्षेत्र और एक जम्मू कश्मीर में है। इसलिए इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना मुख्य रूप से शाखा रहित बैंकिंग पर केन्द्रित है, जिसे**	वर्ष 2006 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को देश के बैंक रहित एवं कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कारबार सम्पर्की (बीसी) माडल अपनाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न संस्थाओं/व्यक्ति विशेष को बीसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, परन्तु बैंकों द्वारा सिर्फ कुछ को वास्तविक रूप से नियोजित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के 'लाभकारी कंपनियों का बीसी के रूप में नियोजन' संबंधी विचार-विमर्श पत्र जो 02 अगस्त, 2010 को इसकी वेबसाइट पर डाला गया था, में यह उल्लेख किया गया था कि सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के 50 बैंकों में से सिर्फ 27 बैंकों ने बीसी नियोजित करने की सूचना दी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि बीसी नियोजित करने वाले अधिकांश बैंकों ने धारा 25 कंपनियों/न्यासों/समितियों को बीसी के रूप में नियुक्त किया था और जबकि कई बैंकों ने बीसी माडल अपनाने के लिए कुछ कदम उठाए थे, इनमें से कुछ ही बैंक प्रायोगिक स्तर से आगे	कालम 4 में यथावर्णित स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		प्रौद्योगिकी और बीसी/बीएफ के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। तथापि, इस मॉडल के उपयोग द्वारा बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार में कुछ बैंकों का अनुभव ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला नहीं रहा है। समिति यह पाती है कि इस मॉडल के अनुभव का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्य दल ने इस माध्यम का बड़े पैमाने पर उपयोग करने में बैंकों की कुछ समस्याओं को उजागर किया है जैसे कि बड़ी संख्या में बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेंटों की सेवाएं लेने में बैंकों के समक्ष आने वाले ऋण की लागत और ऋण की मात्रा संचालनात्मक, विधिक और साख संबंधी जोखिम, अलग-अलग बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेंटों द्वारा कम कवरेज, बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेंटों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन करने में कठिनाई, व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव, ऋण प्रदान करने संबंधी कार्रवाई और इसके संवितरण में विलंब, बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेंटों द्वारा प्राप्त कम कारोबार इत्यादि। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 सितम्बर, 2010 को बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेंटों को नियुक्त करने हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जिनमें आंतरिक केन्द्रीय निगरानी उपभोक्ता संरक्षण के उपाय और बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेंटों के रूप में कार्य करने हेतु 'एंटीटिज' के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। समिति यह विश्वास करती है कि यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने बीसी/बीएफ मॉडल को सुदृढ़ करने के उपाय किए हैं, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में इस मॉडल की प्रभावोत्पादकता अभी भी संदेहास्पद है। इसलिए	कदम उठाए थे। बैंकों द्वारा अगले स्तर पर बढ़ने में उठाई गई परेशानी का कारण विभिन्न कारक हो सकते हैं, जिनमें बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में बीसी नियोजित करने में उठाए गए क्रेडिट, परिचालन, कानूनी एवं प्रतिष्ठा जोखिम, बीसी के रूप में कार्यरत व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी वित्तीय एवं अन्य मजबूरियों द्वारा कम कवरेज, बीसी के रूप में कार्यरत व्यक्ति विशेष की सत्यनिष्ठा निर्धारित करने में कठिनाई नियमितता, पाबन्दी, विभिन्न रिकार्डों के अनुरक्षण संबंधी मामलों में बीसी की व्यावसायिकता में सामान्य कमी, ऋण प्रोसेसिंग, संवितरण में विलंब, बीसी द्वारा किए गए कारबार की कम प्रमात्रा तथा छोटे मूल्य के लेनदेनों की कम प्रमात्रा के साथ जुड़ी लागत शामिल है।उपर्युक्त पहलू को ध्यान में रखते हुए, कारबार सम्पर्कियों के नियोजन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 सितम्बर, 2010 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। बैंक अब भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत बड़े एवं व्यापक खुदरा केन्द्रों वाली कंपनियों (एनबीएफसी को छोड़कर) को बीसी के रूप में नियोजित कर सकते हैं। बीसी के कार्यकलापों के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) उधारकर्ताओं की पहचान; (ii) ऋण आवेदन एकत्र करना और इन पर प्रारंभिक कार्रवाई करना जिसमें प्राथमिक सूचना/आंकड़ों का सत्यापन शामिल है; (iii) बचत एवं अन्य उत्पादों तथा शिक्षा के बारे में जानकारी देना और धन प्रबंधन तथा कर्ज के संबंध में सलाह देना; (iv) कार्रवाई करके आवेदन बैंकों को प्रस्तुत करना; (v) स्व-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों/ऋण समूहों/अन्यों का संवर्धन/प्रोत्साहन तथा निगरानी; (vi) संवितरण पश्चात निगरानी; (vii) वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई; (viii) छोटे मूल्य के ऋण का संवितरण; (ix) मूलधन की वसूली/ब्याज का संग्रहण; (x) सूक्ष्म बीमा/म्युचुअल फंड उत्पादों/पेंशन उत्पादों/अन्य तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री तथा (xi) छोटे मूल्य के विप्रेषण/अन्य भुगतान लिखत प्राप्त करना तथा वितरित करना। बीसी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप बैंक के बैंकिंग कारबार की सामान्य प्रक्रिया के भीतर होंगे परन्तु ये बीसी के माध्यम से बैंक परिसरों/ एटीएम से इतर के स्थल पर निष्पादित किए जाएंगे।		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		समिति सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार में बीसी/बीएफ को एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में विकसित करने हेतु उनके कार्यनिष्पादन की आलोचनात्मक समीक्षा करने का आग्रह करती है। इस संबंध में समिति यह बताना चाहती है कि बैंकों को बीसी को केवल 'लागत केन्द्र' के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि उन्हें इससे भी आगे संरचना चाहिए और उन्हें एक 'सेवा केन्द्र' के रूप में समझना चाहिए।समिति यह भी चाहती है कि बैंकों को ऋण देने वाले वरीयता वाले क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऋण देने के लक्ष्यों का एक उपमंडल होना चाहिए ताकि सभी वर्गों/श्रेणियों को वित्तीय समावेशन में समान रूप से शामिल किया जा सके। ऐसी उप-श्रेणी में अल्पसंख्यकों में आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शामिल करने की सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बैंकों की गांवों को स्वीकार करने की योजना के लिए समयबद्ध लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए।	भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को सूचना देने के अध्यधीन (i) टीयर-3 से टीयर-6 केन्द्रों (49,999 तक की जनसंख्या वाले, जिनमें सभी ग्रामीण केन्द्र शामिल हैं) में और (ii) पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी एवं शहरी केन्द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं/प्रशासनिक कार्यालय/सीपीसी (सेवा शाखाएं) खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान की गई है। अतः, उपर्युक्त केन्द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं/प्रशासनिक कार्यालय/सीपीसी (सेवा शाखाएं) खोलने हेतु घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले चिह्नित लगभग 73,000 गांवों को मार्च 2012 तक तथा इसके पश्चात क्रमिक रूप से सभी गांवों को समय के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं से युक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 2011 में बैंकों को यह सलाह दी गई है कि उन्हें अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना तैयार करते समय, एक वर्ष के दौरान खोली जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (वे केन्द्र जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेनों के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की पक्की शाखा नहीं है) को आबंटित करना चाहिए। कमजोर वर्गों के लिए एनएनबीसी का 10% का लक्ष्य लाभार्थी उन्मुख है और इसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के समग्र लक्ष्य में शामिल किया जाना है। अतः श्रेणी-वार तथा क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित करना तथा इसकी प्रगति की निगरानी करना व्यावहारिक नहीं हो सकता है। अतः कमजोर वर्गों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उप-लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के कमजोर वर्ग की उप-श्रेणी में, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी वर्गीकरण के संबंध में विद्यमान वर्गीकरण की पुनः जांच करने और संशोधित दिशानिर्देशों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है।		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
8	**8**	**समिति यह पाती है कि बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और वित्तीय समावेशन की उपलब्धि में, जिला स्तर की परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला स्तर की परामर्शदात्री समिति में सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, आरआरबी, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के सदस्य होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता जिलाधीश करता है। समिति यह नोट करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त लीड बैंक स्कीम की समीक्षा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति ने मार्च, 2011 तक 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से जिला स्तर की परामर्शदात्री समिति की उपसमिति गठित करने की सिफारिश की है। इस संबंध में समिति का यह मत है कि जिला स्तर की परामर्शदात्री समिति की नीतियों के कार्यान्वयन और नियोजन में मुख्य माध्यम बनने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की जरूरत है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि जिला स्तर की परामर्शदात्री समिति के कार्यकरण की समीक्षा की जाए और इसे पुनर्गठित किया जाए ताकि जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से उस क्षेत्र के संसद सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जा सके।**	जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियां (डीएलसीसी) या जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) बैंकरों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों/विभागों के लिए जिला स्तर पर स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकासपरक कार्यकलापों के सुचारू कार्यकरण में अवरोध उत्पन्न करने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने का एक "कामन फोरम" है। डीसीसीबी और एसएलडीबी, आरआरबी, नाबार्ड, आदि के सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एवं संबद्ध एजेंसियों डीएलसीसी/डीसीसी का सदस्य बनती हैं। अग्रणी बैंक का अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) डीएलसीसी/डीसीसी का संयोजक होता है। रिजर्व बैंक का अग्रणी जिला अधिकारी (एलडीओ) भी डीसीसी का सदस्य है। जिला अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम करते है। डीसीएम/एसीपी में सम्मिलित स्कीमों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने को ध्यान में रखकर डीसीसी बैठकें आयोजित करने के अलावा प्रत्येक वर्ष डीसीसी की एक बैठक जिलास्तरीय समीक्षा बैठक (डीएलआरएम) के तौर पर आयोजित की जाती है। अग्रणी बैंक स्कीम के कामकाज की समीक्षा करने वाले कार्यबल ने टिप्पणी की कि डीएलआरएम ने न केवल अग्रणी बैंक स्कीम में भागीदार विभिन्न संगठनों और ग्रामीण विकास से जुड़ी गैर-सरकारी एजेंसियों को इकट्ठा करने में उपयोगी फोरम के तौर पर काम किया है वरन एक दृष्टि से डीसीपी/एएपी के अंतर्गत कार्य-निष्पादन की सामान्य समीक्षा करने के फोरमों के रूप में अपने आपको विकसित किया है ताकि जिले में क्रियान्वयनाधीन विकासपरक कार्यक्रमों में गैर-सरकारी व्यक्तियों सहित सभी संबंधित एजेंसियों की नियमित प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सके। दल ने सिफारिश की थी कि इन बैठकों की बारम्बरता बढ़ाए जाने का साथ-साथ इस "फोरम" जिलास्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) के तौर पर नामोदिष्ट किया जाए ताकि इसके कार्यकरण के स्वरूप को प्रतिबिंबित किया जा सके। तदनुसार, डीएलआरएम को डीएलआरसी के तौर पर पुनर्नामित किया गया और इसका पृथक फोरम के तौर पर गठन किया गया। आरबीआई ने अग्रणी बैंकों को सलाह दी है कि अग्रणी बैंक द्वारा डीएलआरसी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएं और इन	कालम 4 में यथावर्णित स्वीकृत	

<table>
<tr><th>क. सं.</th><th>सिफारिश/ पैरा सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं</th><th>अभ्युक्तियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>बैकों में भाग लेने के लिए सांसदों/विधायकों और जिला परिषद अध्यक्षों को निरपवाद रूप से आमंत्रित किया जाए। आरबीआई द्वारा सभी अग्रणी बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे डीएलआरसी बैठकों की तिथियां, सांसद की सुविधा का समुचित रूप से ख्याल रखते हुए, नियत करें।
डीएलसीसी के कार्य की समीक्षा करने तथा इसका पुनर्गठन करने तथा उस क्षेत्र के संसद सदस्य को डीएलसीसी का अध्यक्ष बनाने की समिति की सिफारिश के संबंध में इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>9</td><td>कृषि एवं कमजोर वर्गों को ऋण
समिति चिंता के साथ इस तथ्य को नोट करती है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बैंक ऋण के लक्षित प्रतिशत प्राप्त करने में विफल रहे हैं। मार्च, 2010 में, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल कृषि ऋण के 17.28 प्रतिशत में से, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 12.78 प्रतिशत प्रत्यक्ष ऋण और 5.09 प्रतिशत अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में प्रदान किया गया जबकि प्रत्यक्ष ऋण के एएनबीसी का 13.5 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष ऋण के लिए 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। दूसरी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कृषि क्षेत्र को कुल 16.97 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जिसका 12.47 प्रतिशत प्रत्यक्ष और 5.63 प्रतिशत अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में दिया गया। इसके अतिरिक्त समिति अलग-अलग बैंकों के आंकड़ों से यह पाती है कि सरकारी क्षेत्र के 15 बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के 11 बैंकों ने कृषि क्षेत्र को कुल कृषि ऋण के 18S से भी कम ऋण प्रदान किया है। आगे यह भी देखा गया है कि सरकारी क्षेत्र के 12 बैंकों और गैर-सरकारी</td><td>किसानों के लिए कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2004 में, सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरित धनराशि की तुलना में, 2004-05 से प्रारंभ करके तीन वर्षों की अवधि में कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण का प्रवाह दुगुना करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी। यह लक्ष्य दो वर्षों में हासिल किया गया। तदुपरांत, कृषि ऋण प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य नियत किए जा रहे हैं। वर्ष 2003-04 से कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण का प्रवाह नीचे दिया गया है :
(राशि करोड़ रूपए में)
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>लक्ष्य</th><th>उपलब्धि</th></tr>
<tr><td>2003-04</td><td>—-</td><td>86,981</td></tr>
<tr><td>2004-05</td><td>1,05,000</td><td>1,25,309</td></tr>
<tr><td>2005-06</td><td>1,41,000</td><td>1,80,486</td></tr>
<tr><td>2006-07</td><td>1,75,000</td><td>2,29,400</td></tr>
<tr><td>2007-08</td><td>2,25,000</td><td>2,54,657</td></tr>
<tr><td>2008-09</td><td>2,80,000</td><td>3,01,682</td></tr>
<tr><td>2009-10</td><td>3,25,000</td><td>3,84,514</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>3,75,000</td><td>4,59,341</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>4,75,000</td><td>2,62,129.29 *</td></tr>
</table>
* 31 अक्तूबर, 2011 तक उपलब्धि</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क. सं.</th><th>सिफारिश/ पैरा सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं</th><th>अभ्युक्तियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>क्षेत्र के 13 बैंकों ने कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 4.5 प्रतिशत की सीमा से अधिक अप्रत्यक्ष कृषि ऋण उपलब्ध कराया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हालांकि बैंक अब भी अपेक्षित कृषि ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उनमें से बहुत सारे बैंकों ने अप्रत्यक्ष कृषि ऋण संवितरण के प्रति रुझान दिखाया है। यद्यपि सरकार ने कृषि ऋण को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय करने की बात कही है, फिर भी सरकार ऋण प्रदान करने के बांछनीय प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए बैंकों को मनाने में विफल रही है।</td><td>वर्ष 2011-12 में इस क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य 4,75,000 करोड़ रुपए नियत किया गया है। इसमें वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न बैंकों से ऋण के लिए लक्षित ऋण प्रवाह नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रूपए में)
<table><tr><th>एजेंसी</th><th>फसल ऋण</th><th>मियादी ऋण</th><th>योग</th></tr><tr><td>वाणिज्यिक बैंक</td><td>1,85,000</td><td>1,70,000</td><td>3,55,000</td></tr><tr><td>सहकारी बैंक</td><td>57,000</td><td>12,500</td><td>69,500</td></tr><tr><td>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</td><td>38,000</td><td>12,500</td><td>50,500</td></tr><tr><td>योग</td><td>2,80,000</td><td>1,95,000</td><td>4,75,000</td></tr></table>
इसके अतिरिक्त, यह देखा जा सकता है कि सकल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंक, दोनों द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष कृषि ऋण पिछले 4 वर्षों में तेजी से बढ़ा है :

(राशि करोड़ रूपए में)
<table><tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">प्रत्यक्ष कृषि उधार</th></tr><tr><th>सरकारी क्षेत्र के बैंक</th><th>गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक</th></tr><tr><td>2006-07</td><td>1,45,409.48</td><td>28,243.23</td></tr><tr><td>2007-08</td><td>1,76,759.60</td><td>37,390.65</td></tr><tr><td>2008-09</td><td>2,15,634.72</td><td>46,509.54</td></tr><tr><td>2009-10</td><td>2,65,071.17</td><td>52,110.94</td></tr></table>स्रोत : आरबीआई

2. उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कृषि ऋण उधार के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बकाया अग्रिम वर्ष 2006-07 में 1,45,409.48 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 2,65,071.17 करोड़ रुपए हो गया है, इस तरह, 82.29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह, उपर्युक्त आंकड़ों से यह भी देखा जा सकता है कि गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्यक्ष कृषि</td><td></td><td></td></tr>
</table>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			उधार के अंतर्गत बकाया अग्रिम वर्ष 2006-07 में 28,243.23 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 52,110.94 करोड़ रुपए हो गया, इस तरह 84.51% की वृद्धि दर्ज की गई। 3. कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि, कुछ बैंक उनसे संबंधी कृषि ऋण के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। ऐसे कई कारक हैं जो कृषि क्षेत्र के लिए प्राथमिकता प्राप्त उधार लक्ष्यों की उपलब्धि का निर्धारण करते हैं। बैंकों द्वारा उधार दिया जाना कई कारणों पर निर्भर करता है। इन कारणों में ये कारण शामिल हैं- बैंकों का अस्तित्व में होना, जलवायु संबंधी और अन्य कारण और बैंकों के प्रमुख क्षेत्रों में मुख्य आर्थिक क्रिया-कलाप। यह मूल प्रभाव (बेस-इफेक्ट) अर्थात समग्र ऋण में हुई वृद्धि की तुलना में कृषि हेतु ऋण की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। चूंकि गैर-सरकारी बैंकों की शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में पहले ही अत्यधिक मौजुदगी है और यह उनके उधार परिचालनों में भी दिखता है। यह भी देखा गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। 4. जो घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिनमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंक शामिल हैं, अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं उनके लिए उनकी उधार कमी (राशि) को आरबीआई (भारत सरकार द्वारा किए गए वार्षिक आबंटन के अनुसार) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नाबार्ड, सिडबी एवं एनएचबी में सृजित विभिन्न निधियों में जमा कराना अपेक्षित होता है।		

<table>
<tr><th>क. सं.</th><th>सिफारिश/ पैरा सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं</th><th>अभ्युक्तियां</th></tr>
<tr><td>10</td><td>10</td><td>कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के मामले में, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन बहुत खराब है। मार्च, 2010 में इन बैंकों ने कमजोर वर्गों के लिए अपेक्षित 10 प्रतिात के लक्ष्य की तुलना में मात्र 5.48 प्रतिात ऋण का लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसे कार्यनिषपादन का मुख्य कारण अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की शाखाओं की कम संख्या बताया गया है। समिति भारतीय रिजर्व बैंक से यह अपेक्षा करती है कि वह यह सुनिचित करे कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक भी अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करें।</td><td>प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40 प्रतिात या तुलन-पत्र बाह्य निवेशों (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि जो भी अधिक हो, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार दिए जाने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एएनबीसी का 10 प्रतिशत या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि जो भी अधिक हो, का एक उप-लक्ष्य कमजोर तबकों को उधार देने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।
जैसाकि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है, मार्च 2008, 2009, 2010 और 2011 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमजोर तबकों को दिए गए उधार के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>बकाया राशि (करोड़ रुपए में)</th><th>पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एएनबीसी का प्रतिात या ओबीई का सीई, जो भी पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अधिक हो,</th></tr>
<tr><td>2008</td><td>7,152.29</td><td>2.10</td></tr>
<tr><td>2009</td><td>15,832.31</td><td>3.89</td></tr>
<tr><td>2010</td><td>25,686.03</td><td>5.45</td></tr>
<tr><td>2011</td><td>30,077.69</td><td>5.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक</td></tr>
</table></td><td>स्वीकृत</td><td>भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 सितम्बर, 2011 के पत्र के तहत गैर-सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों को विशेष ध्यान देने की सलाह दी है जो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को यह सुनिशचित करने की सलाह भी दी है कि वे</td></tr>
</table>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि एक समूह के तौर पर गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एएनबीसी का 10 प्रतिशत या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि जो भी अधिक हो, का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। हालांकि, कमजोर तबकों को उधार देने में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन में, पूर्ण के साथ-साथ प्रतिशत दोनों दृष्टियों से, कालांतर में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि जो बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं उन्हें उत्साहित न करने वाले उपायों के रूप में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) /अन्य निधियों में योगदान करना है। आरबीआई डाटा के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों में से 15 बैंक मार्च, 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत कमजोर तबकों को उधार देने के 10% के विनिर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। इन 15 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पत्र दिनांक 1 सितंबर, 2011 के जरिए सलाह दी गई है कि वे इस पहलू पर विशेष ध्यान दें। उन्हें यह सुनिचित करने के लिए भी सलाह दी गई है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों उधार मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वित किए जाए और इसे बैंक के निदेशक-मंडल के ध्यान में लाया जाए।		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन मूल भावना से करें और इसे बैंक के निदेशक मंडल की जानकारी में ले आएं।

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
11	11	**इसके अतिरिक्त, समिति यह पाती है कि कमजोर वर्गों के लाभार्थ डिफरेन्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम (डीआरआई स्कीम) के अंतर्गत बैंकों का कार्य निष्पादन बहुत अधिक उत्साहजनक नहीं रहा है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रतिशत ऋण की तुलना में, बैंकों ने गत तीन वर्षों में मात्र 0.05 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत और 0.04 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है। यह बताया गया है कि कम संवितरण का कारण है अन्य अधिक आकर्षक सरकार प्रायोजित योजनाओं का उपलब्ध होना। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों द्वारा ऋण लेने हेतु इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसकी समीक्षा की जाए।**	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ से विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई योजना) के दिशा-निर्देश में संशोधनों करने का सुझाव देने के लिए कहा गया है, ताकि इसे और आकर्षक बनाया जा सके और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।	हां	भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार वर्गीकरण के संदर्भ में मौजूदा वर्गीकरण की जांच करने और संशोधित दिशानिर्देशों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह मामला समिति के विचाराधीन है।
12	12	**ऋण वसूली अधिकरणऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) की स्थापना त्वरित न्याय निर्णयन और अलाभकारी परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गयी थी। तथापि, समिति को प्रस्तुत आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि ये अधिकरण मामलों के शीघ्र निपटान में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं। वर्ष 2006-07 से 2010 तक वसूली अधिकरणों में**	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय शोध्य ऋणों के संबंध में द्रुत अधिनिर्णयन और इसकी शीघ्र वसूली और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के वसूली उपबंधों के तहत भारत सरकार ने पूरे देश में 33 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) और 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) स्थापित किए हैं। सरकार डीआरटी और डीआरएटी के न्यायिक कार्य-कलापों में हस्तक्षेप नहीं करती है।		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		लंबित मामलों की संख्या 25268 से बढ़कर 37616 हो गयी है। तथापि, मंत्रालय इसी बात से संतोष कर रहा है कि वर्ष 2010 में ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या में वर्ष 2006-07 की तुलना में वृद्धि हुई है। समिति आगे यह नोट करती है कि ऋण वसूली अधिकरण कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे कि कार्मिकों की अत्यधिक कमी, प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आधे-अधूरे मामलों/ आवेदनों को प्रस्तुत करना इत्यादि। समिति यह मानने को विवश है कि सरकार ऋण वसूली अधिकरणों कें कार्यकरण के प्रति उदासीन हो चुकी है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को ऋण वसूली अधिकरणों को अधिक सक्रिय एवं उद्देश्य पूर्ण बनाने के उद्देश्य से उनके कार्यकरण की तत्काल संपूर्ण समीक्षा करानी चाहिए। इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में समिति को एक माह की अवधि के भीतर अवगत कराया जाए।	इस मंत्रालय ने इन अधिकरणों के कार्य-कलापों में सुधार लाने हेतु कई कदम उठाए हैं: i. डीआरटी/डीआरएटी में रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:- · डीआरएटी के अध्यक्षों की सभी खाली रिक्तियों को भर लिया गया है। · रिक्त पदों के प्रति 'डीआरटी' में पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए 5 उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव 02.01.2011 को जारी किया गया है। 5 उम्मीदवारों में से 2 ने पहले ही बंगलोर तथा डीआरटी-, चेन्नै में क्रमशः 19.01.2012 तथा 23.01.2012 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष 3 उम्मीदवारों के शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। · 'डीआरटी' में पंजीयक/सहायक पंजीयक और वसूली अधिकारियों के रिक्त पदों के लिए चयन कर लिया गया है और चयनित उम्मीदवार शीघ्र ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। · समूह 'ख' 'ग' और 'घ' स्तर पर होने वाली रिक्तियों के लिए कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति हेतु नियमित रूप से विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सभी डीआरटी/डीआरएटी को आशुलिपिकों, आंकड़ा प्रविष्टि परिचालकों और चपरासियों के लिए रिक्त पदों पर बाह्य एजेंसियों के माध्यम से कम अवधि की नियुक्ति करने की सलाह दी गयी है, जिससे ऐसे स्तरों पर नियमित कर्मचारियों की आंशिक रूप से पूर्ति हो सके। ii. सभी डीआरटी/डीआरएटी को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े। iii. नये चयनित पीठासीन अधिकारियों और अध्यक्षों सहित डीआरटी के सभी अधिकारियों को प्रवेश और रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण माड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। iv. इन अधिकरणों का सहज कार्य-कलाप सुगम करने के लिए डीआरटी/ डीआरएटी के पंजीयकों के साथ सचिव (वित्तीय सेवाएं) की नियमित		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			बैठकें आयोजित की जानी होती हैं और ये बैठकें 22 सितम्बर, 2011 तथा 01 दिसम्बर, 2011 को आयोजित की गई हैं। v. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपूर्ण मामलों/आवेदनों के संबंध में, इन संस्थाओं को भारतीय बैंक संघ के माध्यम से, पहले ही, सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात सभी मामलों को डीआरटी में भेजने की सलाह दी गयी है। vi. सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के तहत सभी 38 डीआरटी/डीआरएटी के पूर्ण कंप्यूटरीकरण कार्यक्रमों को नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) के माध्यम से आयोजित किए गए हैं। डीआरटी के कार्यकलापों की व्यापक समीक्षा करने के लिए स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में निम्नलिखित रूप से एक समिति का गठन किया गया है:- i. डॉ. टी. रवि शंकर, अध्यक्ष, डीआरएटी चेन्नै - अध्यक्ष ii. श्री एस.जी. कुलकर्णी, पी.ओ., डीआरटी, पुणे - सदस्य iii. श्री ओ.पी. वर्मा, पी.ओ., डीआरटी-I, दिल्ली - सदस्य iv. श्रीमती एम.जी. पद्मिनी, पी.ओ., डीआरटी, जबलपुर- सदस्य v. श्री एस के शर्मा, पी.ओ., डीआरटी-II, कोलकाता -सदस्य यह समिति डीआरटी/डीआरएटी द्वारा वर्तमान में अपनाए जा रहे विधिक, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक, निगरानी और पर्यवेक्षी प्रणाली की व्यापक समीक्षा करेगी और इन अधिकरणों के उद्देश्यों, जिसके लिए इन्हें स्थापित किया किए गए थे, को प्राप्त करने के लिए और प्रभावी एवं दक्ष बनाने के लिए अपेक्षित दीर्घावधि और अलपावधि उपायों की सिफारिश करेगी। यदि आवश्यक समझा गया तो समिति सदस्यों के साथ सहयोग करेगी और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं और वकीलों के प्रतिनिधियों सहित सभी पणधारकों से विशेष रूप से परामर्श करेगी। यह समिति दो महीनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी।		

<table>
<tr><th>क. सं.</th><th>सिफारिश/ पैरा सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं</th><th>अभ्युक्तियां</th></tr>
<tr><td>13</td><td>13</td><td>इंश्योरेंस पालिसियों को अस्वीकार करना समिति यह पाती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्वीकृत बीमा पालिसियों की संख्या में, वृद्धि हुई है जैसाकि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट होता है। समिति ये नोट कर हैरान है कि आईआरडीए के पास इस पहलू के बारे में जानकारी नहीं है जो पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। समिति हाल के वर्षों में अस्वीकृत पालिसियों की बढ़ती संख्या के कारणों के बारे में जानना चाहेगी। समिति सिफारिश करती है कि आईआरडीए को पालिसियों के अस्वीकृत होने के कारणों का पता लगाने के लिए ऐसी पालिसियों का एक विश्लेषण करना चाहिए तथा पालिसी अस्वीकृत होने की घटनाओं को कम करने के उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।</td><td>बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने बताया है कि पहले बीमा कम्पनियों द्वारा जारी पालिसियों के तहत दावों के अस्वीकरण से संबंधित सूचना निरन्तर आधार पर एकत्र नहीं की जाती थी बल्कि जब अपेक्षित होती है तब सूचना एकत्र की जाती थी। यह आकड़ा हाल में तिमाही आधार पर एकत्र किया जाता है और अब इसकी समीक्षा आवधिक आधार पर की जा रही है। वर्ष 2010-11 के लिए पहले प्रस्तुत आंकड़े 5 कम्पनियॉ के आकड़े प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि उसमें पहले से ही उल्लिखित हैं।

हालांकि वर्ष 2010-11 के चारों तिमाहियों के लिए जीवन और गैर-जीवन कम्पनियों के लिए अब संकलित आंकड़ों का सार नीचे दिया गया है, विवरण के अनुसार कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न है:-
<table>
<tr><th>खण्ड</th><th>आईआरडीए द्वारा तैयार कराए गए मानक प्रारूप के अनुसार अस्वीकृत दावों की संख्या</th><th>जैसा कि पहले प्रस्तुत किया गया था, अस्वीकृत दावों की कुल संख्या*</th></tr>
<tr><td>जीवन</td><td>19,754#</td><td>19,284</td></tr>
<tr><td>गैर-जीवन</td><td>7,21,244#</td><td>4,61,373</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>7,40,998</td><td>4,80,657</td></tr>
</table>
* एक जीवन कम्पनी तथा चार गैर-जीवन कम्पनियों (मुख्यतया गैर-जीवन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां जिनकी कारोबार मात्रा बहुत बड़ी है जिससे वे बड़ी संख्या में हैं) को छोड़कर।
# कंपनी-वार ब्यौरा अनुबंध- I और II में दिया गया है।

तथापि, आईआरडीए ने उल्लेख किया है कि जब दावों की वास्तविक संख्या के मुकाबले अस्वीकृत दावों के प्रतिशत की बात आती है तो यह जीवन बीमा के लिए केवल 1.54% तथा गैर-जीवन बीमा के लिए केवल 2.41% होता है।

पिछले 5 वर्षों के लिए जीवन बीमा दावों के संबंध में आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि दावों की कुल संख्या में से निपटाए गए दावों का प्रतिशत</td><td></td><td></td></tr>
</table>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां

निरन्तर 96% या उससे अधिक रहा है। दावों की कुल संख्या प्रति वर्ष बढ़ती रही है और इसके बावजूद चुकाए गए दावों का प्रतिशत अधिक रहा है।

वर्ष	दावों की कुल संख्या	चुकाए गए दावे		अस्वीकृत दावे		लंबित दावे		पुरांकित दावे	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
2006-07	774796	748297	96.58	12168	1.57	14331	1.85	--	--
2007-08	740159	712741	96.29	10268	1.39	16777	2.27	373	0.05
2008-09	904758	865635	95.67	14193	1.57	19063	2.11	5867	0.65
2009-10	1071586	1031848	96.29	16213	1.51	17764	1.66	5761	0.54
2010-11	1285759	1234014	95.97	19754	1.54	27888	2.17	4103	0.32

इसके अलावा, जब अस्वीकृत दावों का सह-संबंध जीवन बीमा में चालू व्यक्तिगत पालिसियों की संख्या से स्थापित किया जाता है तब यह केवल 0.006% होता है। गैर-जीवन क्षेत्र में जब जारी पालिसियों की संख्या से इसकी तुलना की जाती है तब यह 0.67% होता है।

जहां तक अस्वीकृत दावों की समग्र संख्या में वृद्धि का संबंध है, यह इस तथ्य के कारण है कि क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है तथा कारोबार प्रमात्रा में भी वृद्धि हो रही है। बीमा कम्पनियों द्वारा जारी पालिसियों की संख्या भी वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान जीवन बीमा में जारी व्यक्तिगत पालिसियों की संख्या साढ़े चार करोड़ से बढ़कर साढ़े पाँच करोड़ हो गई है। गैर-जीवन क्षेत्र में जारी पालिसियों की संख्या साढ़े पाँच करोड़ से लगभग दोगुनी बढ़कर दस करोड़ हो गई। तदनुसार, दावा सूचना संख्या भी ज्यादा होगी और इसलिए अस्वीकृत दावों में वृद्धि होना एक संख्यात्मक तथ्य है।

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			आईआरडीए यह उल्लेख करना चाहेगा कि जीवन बीमा में चुकाए गए लाभ कई हजार करोड़ में होते हैं। वास्तव में वर्ष 2009-10 में, जीवन बीमा ने चुकाए गए मृत्यु दावों सहित कुल लाभ 98578.20 करोड़ रु. था। जब दावों की संख्या की बात आती है तो निपटाएं गए दावों की संख्या वास्तव में प्रतिवर्ष बढ़ रहीं हैं और 2010-11 के दौरान जीवन बीमा तथा गैर-जीवन बीमा में दावा निपटान से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-		

वर्ष	जीवन बीमा में निपटाए गए मृत्य दावों की संख्या	निपटाई गईं कुल राशि (करोड़ रु. में)	गैर जीवन बीमा में निपटाए गए कुल दावों की संख्या	निपटाई कुल राशि (करोड़ रु. में)
2010-11	12,34,014	8937	2,55,35,978	37442

पालिसीधारकों की सुरक्षा की दृष्टि से संख्या हेतु व्यवसाय के अलावा, आईआरडीए ने पालिसियों की अस्वीकृति के लिए कारणों के संबंध में सभी बीमा कम्पनियों से आंकड़े मंगवाएं है ताकि अस्वीकृत दावों का विस्तृत विश्लेषण किया जा सके, मूल कारण का विश्लेषण किया जा सके, प्रणालीगत मुद्दों को पहचाना जा सके तथा, जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जा सके।

इसके अलावा, आईआरडीए ने हाल ही में एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) शुरु किया है जो उद्योग शिकायत डाटाबेस का एक केन्द्रीय भंडार बनाता है तथा विभिन्न प्रकार की शिकायतों के सृजन और विश्लेषण में समर्थ करता है। एक श्रेणीकृत विश्लेषण दावा अस्वीकरण से संबंधित शिकायत है और यह विरासती मामलों, यदि कोई हों, का समाधान करने में सहायता करेगा। यह डाटाबेस तैयार किया जा रहा है तथा अपेक्षित विश्लेषण किया जाएगा।

अनुबंध-I

वर्ष 2010-11 के दौरान जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा अस्वीकृत दावे

जीवन बीमाकर्त्ता	कारोबार समूह के तहत अस्वीकृत दावे	व्यक्तिगत कारोबार के तहत अस्वीकृत दावे	कुल
	जीवन की सं.	जीवन की सं.	जीवन की सं.
एगान रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेश कं.	0	58	58
अवीवा लाइफ इंश्योरेश कं.	29	277	306
बजाज एलियंन लाइफ इंश्योरेंश कं.	34	1913	1947
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेश कं.	5	99	104
बिरला सनलाइफ इंश्योरेश कं.	6	491	497
केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेश कं.	6	47	53
डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेश कं.	0	16	16
फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेश कं.	2	268	270
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेश कं.	0	182	182
आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल लाइफ इंश्योरेश कं.	67	503	570
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेश कं.	19	88	107
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेश कं.	12	34	46
आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेश कं.	1	81	82
कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेश कं.	47	105	152
मैक्स न्यू यार्क लाइफ इंश्योरेश कं.	1299	1344	2643
मेटलाइफ लाइफ इंश्योरेश कं.	46	111	157
रिलायन्स लाइफ इंश्योरेश कं.	9	1410	1419
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेश कं.	0	136	136
एसबीआई लाइफ इंश्योरेश कं.	767	1678	2445
श्रीराम लाइफ इंश्योरेश कं.	2	407	409
स्टार यूनियन डाई-ची लाइफ इंश्योरेश कं.	9	4	13
टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेश कं.	32	714	746
निजी कुल	**2392**	**9966**	**12358**
भारतीय जीवन बीमा निगम	12	7384	7396
उद्योग कुल	**2404**	**17350**	**19754**

अनुबंध-II

वर्ष 2010-11 के दौरान जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा अस्वीकृत दावे

बीमाकर्त्ता का नाम	2010-11 के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या
नेशनल इंश्योरेंश कं.	163,653
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.	12,244
ओरियन्टल इंश्योरेंश कं.	8,270
युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश कं.	80,030
एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कं. लि.	0
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन लि.	1,056
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंश कं.	223,167
स्टार हेल्थ एण्ड एलाईड इंश्योरेंश कं.	110,084
रिलायन्स जनरल इंश्योरेंश कं.	50,980
बजाज एलियंज जनरल इंश्योरेंश कं.	0
एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंश कं.	1,320
इफ्फको टोकियों जनरल इंश्योरेंश कं.	0
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंश कं.	4,642
रॉयल सुन्दरम एलाइन्स इंश्योरेंश कं.	5,643
श्रीराम जनरल इंश्योरेंश कं.	4,905
युनिवर्सल सोम्पु जनरल इंश्योरेंश कं.	10,809
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंश कं.	3,787
कोरोमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंश कं.	21,998
फयूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंश कं.	14,720
अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंश कं.	3,822
मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंश कं.	95
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंश कं.	5
एल एण्ड टी जनरल इंश्योरेंश कं.	7
एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कं.	7
कुलः	**721,244**

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
14	**14**	**समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार राजस्व अर्जित करने और अपने सामाजिक व्यय कार्यक्रमों के एक भाग को वित्त पोषित करने के लिए सरकारी के क्षेत्र लाभ कमाने वाले उद्यमों का विनिवेश करने के लिए घोषणा कर रही है। उन्होंने पाया है कि पिछले वर्ष विनिवेश के जरिए 40,000 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था हालांकि इसके बाद इस लक्ष्य को संशोधित किया और अन्य उपायों के जरिए अतिरिक्त संसाधन बढ़ाए गए। समिति ने यह भी पाया कि इस वर्ष सरकार ने अपने लक्ष्य को पुनः निर्धारित किया है और विनिवेश से प्राप्ति के रूप में 40000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पुनः निर्धारित किया है।**	केन्द्रीय सरकारी के क्षेत्र उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया नीति का एक भाग है और इससे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आम जनमानस के स्वामित्व का विकास होता है तथा इससे अर्जित होने वाला राजस्व सरकार की चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है।	स्वीकार नहीं की गई।	
15	**15**	**समिति ने पाया है कि सरकार की विनिवेश नीति सिद्धांत रूप से सरकारी के क्षेत्र उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता को कम करने के लिए एक युक्तियुक्त नीति की बजाय राजस्व अर्जित के उद्देश्य को शासित करती है इससे सरकार की विनिवेश नीति एडहॉकिज्म की ओर संकेत दर्शाती है।**	विनिवेश नीति का मुख्य बल केन्द्रीय सरकारी के क्षेत्र उद्यमों में आम जनमानस की भागीदारी का विकास करके संपत्ति एवं समृद्धि में उनकी भागीदारी को बढ़ाना, जबकि सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण को बनाए रखना है इसलिए नीति का उद्देश्य राजस्व सृजन करना नहीं है: विनिवेश नीति इस प्रकार है :- (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही लाभ कमाने वाले उद्यम, जो 10% की आम जनमानस की शेयरधारिता को पूरा नहीं करते उन्हें इसका पालन करना होगा । (ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे उद्यम, जो सूचीबद्ध नहीं हैं और जिनका संचित घाटा नहीं है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ	स्वीकार नहीं की गई।	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			अर्जित किया है, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या कंपनी द्वारा नए निर्गम या दोनों के संयोजन के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा। (iii) इसके अलावा, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पूंजीगत विनिवेश के लिए आवश्यकता पर विचार करने को ध्यान में रखते हुए अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश मामला दर मामला आधार पर की जाएगी और सरकार एक साथ या एकल रूप में अपनी शेयरधारिता इक्विटी के एक भाग की पेशकश कर सकेगी। (iv) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम की इक्विटी का ढांचा, वित्तीय संगठन, वित्तीय अपेक्षा, संचालन का क्षेत्र इत्यादि कारक हैं जो सार्वजनिक पेशकशों की पद्धति को एकरूप प्रदान नहीं करते। इसलिए सार्वजनिक पेशकश की एकल पेशकश को मैरिट आधार पर लेने के लिए विचार किया जाता है और नए निर्गम के पेशकशों, जहां कहीं संभव हो, बिक्री के लिए पेशकशों के संपर्क सहित मामला दर मामला आधार पर लिया जाता है; और (v) विनिवेश के सभी मामलों में, सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कम से कम 51 प्रतिशत की इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखेगी। उपरोक्त तथ्यों पर आधारित विनिवेश नीति को अनुमोदित करते समय यह एक सतर्क निर्णय रहा है कि विनिवेश के सभी मामलों का मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय किया जाएगा। इसलिए समिति द्वारा कोई एडहॉकिज्म नहीं पाया गया है। यद्यपि, वार्षिक कार्ययोजना और उससे संभावित पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का मामला विचाराधीन है।		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
16	**16**	**इसके अलावा केन्द्रीय सरकारी के क्षेत्र लाभ कमाने वाले उपक्रमों के लिए नीति मार्गदर्शी सिद्धांत सरकारी शेयरधारिता को कम करना है, सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों के संबंध में सभी कोई ठोस नीति नहीं बनायी गयी है, उन्हें आमतौर पर बीआरपीएसई को जोकि लोक उद्यम विभाग के अधीन हैं, उन्हें पुनरूद्धार के लिए संदर्भित कर दिया जाता है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार सरकारी के क्षेत्र में सभी श्रेणी वाले उपक्रमों के लिए एक सुस्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत और दृष्टिकोण को स्पष्ट करनेवाली विनिवेश नीति बनानी चाहिए।**	विनिवेश नीति का मुख्य बल केन्द्रीय सरकारी के क्षेत्र उद्यमों की संपत्ति एवं समृद्धि में हिस्सेदारी के लिए आम जनमानस स्वामित्व को सुनिश्चित करना है और लाभ कमाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों में निवेशक समुदाय और आम जनमानस का विश्वास पैदा करना है। केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र घाटा उठाने वाले उद्यमों के शेयरों में न तो निवेशक रूचि लेंगे और नही वे समृद्धि (घाटे के कारण पहले से ही रिक्त हो गए है) में भागीदार होंगे और इसलिए बीआरपीएसई के जरिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार के लिए प्रयास जारी रखे जाएंगे तथा उनके कारोबार सुविधाजनक बनाने के लिए वे सूचीबद्ध करने से पहले लाभ कमाने वाले बन जाए। केन्द्रीय सरकारी के क्षेत्र उद्यमों, जिनका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता उन्हें बन्द करने या नीतिगत भागीदारों को विनिवेश करने के लिए मामला दर मामला आधार पर निर्णय लेने के लिए कार्रवाई की जाती है। इस आधार पर सरकार ने स्कूटर इंडिया लि., टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., और सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि., के मामलों में नीतिगत भागीदार के पक्ष में 100% इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है।	स्वीकार नहीं की गई।	

Annexure

Statement showing Action Taken on the Recommendations/Observations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Finance presented to Lok Sabha on 30th June, 2011/laid in Rajya Sabha on 30th June, 2011 relating to the Ministry of Finance .

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	1	**The Committee desire that the Ministry of Finance should urgently take up this matter with the line Ministries with a view to reviewing these unutilized grants instead of providing for the year after year routinely without any reference to its utilization. The committee would not like a situation where grants remain confined to the budget document without showing visible results on the ground. The Ministry of Finance should, therefore, set up internal monitoring mechanism, whereby quarterly review meetings may be convened involving both the line Ministries and the State Governments so as to keep close vigil and to ensure a much better utilization of funds. In this context, the Committee would also like to draw the attention of the Government to a contrasting situation being witnessed with regards to central funds which are shown as fully utilized for budgetary purposes without any visible outcomes on the ground. The Committee would thus recommend that the Ministry of Finance should sensitize the line Ministries in this regard so that the proposals formulated by them are more sharply focused on the results.**	• Instructions for expenditure management issued on 11 July, 2011 inter-alia stating that not more than one-third (33%) of the allocated amount in Budget Estimates may be spent in the last quarter of the financial year and not more than 15% of the allocated amount may be expended during the month of March. • Meeting of FM with Financial Advisers held on 20.10.2011 primarily to emphasize the need for scrupulously following the instructions issued by MoF for fiscal and expenditure management, to assess need for finance in the remaining part of the year and for adherence to monthly and quarterly expenditure plans. • Anticipated expenditure is reviewed while providing budgetary allocations at Revised Estimate stage. • For the release of subsequent installments of grants against identified projects, project progress is reviewed to ensure that budgetary allocations are utilized within the parameters of scheme guidelines and releases are linked to physical progress of the projects to ensure visible outcome.	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		They should also avoid expending major chunk of allocation towards the end of the year while ensuring spreading evenly through the year.			
2	**2**	**From the submissions of the Chief Economic Advisor, it is found that while in April 2010, the WPI index was 11%, it came down to 8.31 per cent in April this year. However, the Ministry, in their replies have admitted that this fall has been managed by changing the base year. Nevertheless, the food index which was at 6.45 per cent in April, 2011 continues to be a major component of overall inflation. Although the Ministry have stated that food index in CPI-IW and in WPI are guiding factors in formulation of Government policy and management of food economy, the Committee are surprised to note that the approach of the Government in redefining these indices has been piecemeal in as much as while base year for WPI has been changed to year 2004-05, year 2001 is still used as base year for CPI-IW. This clearly shows that contradictory scenarios emerging from these indices are being used for policy formulation, which obviously cannot thus be expected to yield the desired results of curbing inflation. Since it is not the wholesale prices, but retail prices represented by CPI which is more affecting the common man, the Committee would recommend the Government to formulate a more**	The Central Statistics Office (CSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation has introduced a new series of Consumer Price Indices (CPI) on base 2010=100 for all-India and States/UTs separately for rural, urban and combined with effect from January, 2011. CPI (Urban) covers 310 towns while CPI (Rural) covers 1181 villages in the country. The weighting diagrams for the new CPI series have been derived on the basis of average monthly consumer expenditure of an urban/rural household obtained from the NSS 61st round Consumer Expenditure Survey data (2004-05). The annual inflation rates would be available at the time of release of indices for January 2012, when the indices for one year are available.	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		representative CPI on an urgent basis, which will reflect more accurately the prevailing inflationary trend.			
3	**3**	**Further, from the submissions of the Chief Economic Advisor, the Committee observe that the Government "accepts additional two percent of inflation as corollary of economic growth." Though the Government has taken measures to bring down prices, their inadequacy is well reflected in RBI's outlook on inflation, which shows that there are several upside risks to inflation such as risk of persistent high food inflation spilling over to the general inflation including the manufacturing sector. The Committee would like to caution that there is thus no room for complacency to treat the issue of rising prices as simply growth related and arising out of increasing per capita incomes. Specific policy measures coupled with strong enforcement action is thus urgently called for to tackle inflation, which if left unattended, will leave an adverse impact on the economy in all its dimensions including a negative impact on growth.**	Food inflation for WPI (wt 24.31 %) has dropped from a peak of 20.2 per cent in February 2010 to about 6.8 to 9.9 per cent in February-October 2011. The Government is working closely, together with RBI, to take all appropriate steps to reduce inflation to more comfortable level. Some of the important fiscal and administrative measures include: reduced import duty to zero on pulses, edible oils (crude), and to 7.5 per cent on refined and hydrogenated oils and vegetable oils; Duty under Tariff Rate Quota for Skimmed Milk Powder (SMP) reduced from 15% to 5% for import upto an aggregate of 10000 metric tonnes in a financial year; Stock limit orders extended in the case of pulses, paddy, and rice up to 30 September 2011 and edible oil and edible oilseeds up to 31 March 2011, ban on future trading in rice, urad and tur etc.	Accepted	
4	**4**	**The Committee note that the Government have initiated budgetary reforms by making expenditure corresponding to outcome. While comparison with actual expenditure during budgeting/planning of future expenses is a necessary input, the Committee note that there are still**	The observations of the Committee have been noted.	Not applicable	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		several areas which require reforms to bring more transparency in the budgetary process and fixing accountability, such as classification of expenditure, uniformity in expenditure allocations throughout the year, delineation of savings resulting from economic use of resources or due to inaction on the part of parent Ministry/Department is not implementing/ delaying projects/ Schemes, distinction of 'savings' from 'surrenders' made etc.			
5	**5**	**From the submission of the Finance Secretary, the Committee find that classification of revenue and capital expenditure is not properly reflected in the Union Government accounts as grants given to States for onward incurring of capital expenditure are shown as revenue expenses in the account of Government of India. The Committee believe that such accounting creates only avoidable confusion and is not reflective of actual budgeting. Therefore, Government must initiate measures to review the existing classification of expenditure to better project the expenditure and reflect the policies accurately. Further, the Committee are surprised to find that there is no accurate system to capture the savings/surrenders which result from non implementation of intended plans/ schemes. The existing system of reflecting savings is very vague and does**	The Committee were apprised earlier during the oral evidence of the budgetary process at the time of mid-year review including identification of savings in one grant and provision of additional expenditure in other grant through supplementary demands for grants. Thus, the observations of Committee have been noted.	Not applicable	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		not fix accountability of the delinquent Ministry/Department. In view of the Committee, savings is a misnomer as most of it relates to inefficient planning and ineffective monitoring. Thus, it would be more appropriate if the three heads, namely, savings, under/non utilization and surrender of funds are clearly segregated in the budget. This would also help the Government in more efficient re-allocation of available funds.			
6	**6**	**<u>Rate of Interest on General Provident Fund</u>** **The Committee note that the rate of interest on Employees Provident Fund has been 9.5%. The Committee desire that rate of Interest on General Provident Fund (GPF), which is pegged at 8%, may also be reviewed so that government employees are not put to any disadvantage more so now when the interest rate for bank deposits have also been raised.**	The revision of Rate of Interest on General Provident Fund and other similar funds is under consideration of the Government.	Under consideration	
7	**7**	**The Committee note that for extending banking services to approximately 73000 habitations, by March, 2012, the Government is relying on use of Banking Correspondents/ Facilitators (BCs/BFs) to a great extent to enable reach of branchless banking. As in March 2011, banks had 26,123 BCs/BFs. It is seen that out of 129 unbanked blocks, 58 blocks so far, have been provided banking**	From the year 2006 Scheduled Commercial Banks had been permitted, to adopt the Business Facilitator (BF) / Business Correspondent (BC) model for delivery of banking services in the unbanked and underbanked areas of the country. Though a variety of entities/ individuals had been permitted by the Reserve Bank of India to act as BCs, only a few had actually been so engaged by banks. It was mentioned in the RBI's discussion paper on "Engagement of for profit companies as BCs" , which was placed on its website on August 2, 2010, that out of 50 public sector and private sector banks, only 27 banks had	Accepted as explained in col. 4	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		services. So there are still 71 unbanked blocks, majority of which (70 blocks) are in the North- Eastern region and one in Jammu and Kashmir. Therefore, extending banking services in these areas is heavily centered on providing branchless banking, which can be through the use of technology and BCs/ BFs. However, the experience of some banks in expanding banking network through the use of this model has not been very encouraging. **The Committee find that the Working Group appointed by RBI to study the experience of this model highlighted some of the problems of banks in using this channel extensively viz. cost of credit and volume of credit, operational, legal and reputation risks faced by banks in employing larger number of BCs, low coverage by individual BCs, difficulty in assessing integrity of individuals acting as BCs, lack of professionalism, delay in loan processing, disbursements, low volume of business generated by BCs etc. Consequently RBI issued revised guidelines for engaging BCs on September 28, 2010, providing for internal central monitoring and consumer protection measures and enlarging the scope of entities for acting as BCs. The Committee believe that although RBI has initiated measures to strengthen BC/BF model, the efficacy of this model, so far, in extending banking facilities is still doubtful.**	reported engaging BCs. The paper also mentioned that most of the banks that had engaged BCs had appointed Section 25 companies/ Trusts/ Societies as BCs and while many banks had taken some steps to adopt the BC model, only a few of them had scaled-up beyond the pilot stage. The difficulty experienced by banks in scaling up had been attributed to several factors including credit, operational, legal and reputation risks faced by banks in engaging a large number of BCs, low coverage by individuals acting as BCs due to their financial and other constraints, difficulty in assessing integrity of individuals acting as BCs, general lack of professionalism of BCs in matters of regularity, punctuality, maintenance of various records, delays in loan processing, disbursements, low volume of business generated by BCs and costs associated with low volume small value transactions. Keeping in view the above aspect, the guidelines for engaging Business Correspondents were reviewed and revised guidelines were issued by RBI on September 28, 2010. The banks may now engage Companies registered under the Indian Companies Act, 1956 with large and widespread retail outlets as BC (excluding NBFCs). The scope of activities of BCs may include (i) identification of borrowers; (ii) collection and preliminary processing of loan applications including verification of primary information/data; (iii) creating awareness about savings and other products and education and advice on managing money and debt counselling; (iv) processing and submission of applications to banks; (v) promoting, nurturing and monitoring of Self Help Groups/ Joint Liability Groups/Credit Groups/others; (vi) post-sanction monitoring; (vii) follow-up for recovery, (viii) disbursal of small value credit, (ix) recovery of principal / collection of interest (x) collection of small value deposits (xi) sale of micro insurance/ mutual fund products/ pension products/ other third party products and (xii) receipt and delivery of small value remittances/ other payment instruments.		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		Therefore, the Committee would urge the Government/RBI to critically review the performance of BCs/BFs to develop them as a viable source of expanding banking network in remote and inaccessible areas. In this regard, the Committee would like to point out that banks should not look at BCs as a mere 'cost centre' but should look beyond and treat them as a 'service centre'. **The Committee also desire that banks should have a sub-division of lending targets for different categories of weaker sections under priority sector lending, so that all sections/categories are evenly covered in financial inclusion. Such a sub-category should also include the extent of coverage of the economically disadvantaged among minorities. Similarly, time-bound targets should also be fixed for the village adoption scheme of banks.**	The activities to be undertaken by the BCs would be within the normal course of the bank's banking business, but conducted through the BCs at places other than the bank premises/ATMs. As per extant RBI's Branch Authorisation Policy, general permission has been granted to domestic Scheduled Commercial Banks (other than RRBs) to open branches/mobile branches/ Administrative Offices/ CPCs (Service Branches), (i) in Tier 2 to Tier 6 centres (with population up to 99,999 which includes all rural centres) and (ii) in rural, semi urban and urban centres of the North Eastern States and Sikkim, subject to reporting.Thus, domestic scheduled commercial banks are not required to take permission from Reserve Bank of India for opening branches/mobile branches/ Administrative Offices/ CPCs (Service Branches) in above centres. Keeping in view the goal of bringing banking services to identified about 73,0000 villages with population above 2000 by March 2012, and thereafter progressively to all villages over a period of time, banks have been advised by RBI in July, 2011, that while preparing their Annual Branch Expansion Plan (ABEP), they should allocate at least 25 percent of the total number of branches proposed to be opened during a year in unbanked rural (Tier 5 and Tier 6) centres (centres that do not have a brick and mortar structure of any scheduled commercial bank for customer based banking transaction). The target of 10% of ANBC for weaker Sections is beneficiary oriented and subsumed in overall target of priority sector lending. It may not be therefore practical to fix and monitor category-wise and Sector-wise progress. It is therefore not possible to fix sub-targets for each category of weaker sections. The sub-category of the weaker section of the priority sector lending inter-alia includes persons form minority community. RBI has further reported that a committee has been constituted to re-examine the existing classification and suggest revised guidelines with regard to priority sector lending classification.		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
8	8	**The Committee observe that in expanding banking services and achievement of financial inclusion, District Level Consultative Committee (DLCC) has a crucial role. The DLCC has members from all commercial banks, co-operative banks, RRBs, NABARD, RBI and various State Government departments and agencies. This Committee is chaired by District Collector. They note that the High Level Committee to review Lead Bank Scheme appointed by RBI has recommended to constitute a sub committee of DLCC with a view to drawing up a roadmap to provide banking services through a banking outlet in every village having a population of over 2000 by March 2011.** **In this regard, Committee are of the opinion that DLCC needs to function more effectively to become the main instrument of implementing policies and planning. The Committee would therefore, recommend review of the functioning of DLCC and its re-constitution and make the MP of the area to head the same.**	The District Level Consultative Committees (DLCCs) or District Consultative Committee (DCC) is a common forum for bankers as well as government agencies/departments to come to a common platform to find solutions to the problems hindering the smooth functioning of the various developmental activities under various Schemes at the district level. All the commercial banks, co-operative banks including DCCB and SLDB, RRBs, NABARD, etc. and various State Government departments and allied agencies constitute the members of the DLCC/ DCC. The Lead District Manager (LDM) of the lead bank is the convenor of DLCC/DCC. The Lead District Officer (LDO) of Reserve Bank is also a member of the DCC. The District Collector functions as the Chairman of this committee. Apart from convening DCC meetings, one meeting of DCC every year was held as a District Level Review Meeting (DLRM) with a view to evaluating the progress made in the implementation of schemes included in DCP/ACP. The Working Group to Review the Working of the Lead Bank Scheme, observed that DLRMs had not only served as useful forum for bringing together various organisations participating in the lead bank scheme and non-official agencies connected with rural development but also evolved, in a way, into forums for a general review of performance under DCP/AAP so as to ensure regular participation of all concerned agencies including non-officials in the developmental programmes under implementation in the district. The Group recommended that the frequency of these meetings may be increased, as also designate this forum as District Level Review Committee (DLRC) to reflect the nature of its functioning. Accordingly, DLRM was renamed as DLRC and has been constituted as a separate forum. RBI has advised lead banks that the DLRC meetings should be convened on quarterly basis by the lead bank and invariably invite MPs/MLAs and Zilla Parishad Chiefs to participate in these meetings. All Lead Banks have also been advised by RBI to fix the dates of DLRC meetings with due regard to MP's convenience.	Accepted as explained in col. 4	

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Recommendation/ Para No.</th><th>Recommendation</th><th>Action Taken by the Government</th><th>Whether accepted or not by the government</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>As regards the recommendation of the committee to review functioning of DLCC and its re-constitution and make the MP of the area to head the DLCC, the matter is being taken up with the Reserve Bank of India.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>9</td><td>Lending to agriculture and weaker sections

The Committee note with concern the fact that both public and private sector banks have failed to achieve the targeted percentage of agricultural lending. Out of 17.28% of total agricultural lending by public sector banks, in March 2010, 12.78% of adjusted net bank credit (ANBC) was provided for direct lending and 5.09% was given as indirect lending as against the stipulated 13.5% and 4.5% respectively. On the other hand, private sector banks made total agricultural lending of 16.97% of which 12.47% was given as direct credit and 5.63% was given as indirect credit. The Committee further observe from the data for individual banks that as many as 15 public sector and 11 private sector banks have made less than 18% of total agricultural lending. It is further seen that 12 public sector and 13 private sector banks have made indirect agricultural lending in excess of the prescribed 4.5%. Thus it is clear that while banks are still short of achieving required agricultural lending, many of them have shown greater propensity to disburse indirect agricultural credit. Though the</td><td>Increasing the flow of agriculture credit to farmers is a priority to the Government of India. In 2004 Government had announced a package for doubling the flow of credit to agriculture and allied activities in a period of three years commencing from 2004-05 over the amount disbursed during the year 2003-04. This target was achieved in two years thereafter annual targets are being fixed for agriculture credit flow. The flow of credit to agriculture and allied activities since 2003-04 is as under:
(Amount in Rs. Crore)
<table><tr><th>Year</th><th>Target</th><th>Achievement</th></tr><tr><td>2003-04</td><td>—</td><td>86,981</td></tr><tr><td>2004-05</td><td>1,05,000</td><td>1,25,309</td></tr><tr><td>2005-06</td><td>1,41,000</td><td>1,80,486</td></tr><tr><td>2006-07</td><td>1,75,000</td><td>2,29,400</td></tr><tr><td>2007-08</td><td>2,25,000</td><td>2,54,657</td></tr><tr><td>2008-09</td><td>2,80,000</td><td>3,01,682</td></tr><tr><td>2009-10</td><td>3,25,000</td><td>3,84,514</td></tr><tr><td>2010-11</td><td>3,75,000</td><td>4,59,341</td></tr><tr><td>2011-12</td><td>4,75,000</td><td>2,62,129*</td></tr></table>* Achievement upto 31st Octobere, 2011</td><td>Accepted to the extent as detailed at column 3.</td><td></td></tr>
</table>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		Government have stated to have taken several measures to increase agricultural lending, they have still failed to persuade banks to achieve the desired percentage of lending.	The target for flow of credit to the sector has been fixed at **Rs. 4,75,000 crore** for 2011-12 with the credit flow from various Banks during 2011-12 targeted to be as under:		

(Rs. in crore)

Agency	Crop loan	Term loan	Total
Commercial Banks	1,85,000	1,70,000	3,55,000
Cooperative Banks	57,000	12,500	**69,500**
Regional Rural Banks	38,000	12,500	**50,500**
Total	**2,80,000**	**1,95,000**	**4,75,000**

In addition, it may be seen that in gross terms the direct agriculture lending by both the Public Sector Banks and Private Sector Banks has grown rapidly during the last 4 years:

(Rs. in crore)

Year	Direct Agriculture Lending	
	Public Sector Banks	**Private Sector Banks**
2006-07	1,45,409.48	28,243.23
2007-08	1,76,759.60	37,390.65
2008-09	2,15,634.72	46,509.54
2009-10	2,65,071.17	52,110.94

Source: RBI

2. From the above data it may be observed that the outstanding advances under direct agriculture lending by the Public Sector Banks has increased from Rs. 1,45,409.48 crore in 2006-07 to Rs. 2,65,071.17 crore in 2009-10, thereby registering an increase of 82.29%. Similarly, from the above data

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			it may be observed that the outstanding advances under direct agriculture lending for the Private Sector Banks has increased from Rs 28,243.23 crore in 2006-07 to Rs. 52,110.94 crore in 2009-10, thereby registering an increase of 84.51%. 3. The flow of credit to agriculture is steadily growing. However, some Banks are unable to achieve the given targets of share to agriculture credit. There are several factors that determine the achievement of the priority sector lending targets to the agriculture sector. Lending by the Banks depends upon a number of factors including its physical presence, climatic and other factors, the main economic activities in their service areas. This is also influenced by the base effect, i.e., the growth in overall credit vis a vis credit flow to agriculture. As private sector banks have a predominant presence in urban and semi urban areas, it is getting reflected in their lending operations. It may be noted that the lending to agriculture sector by Private Sector Banks has been steadily rising. 4. The Domestic Scheduled Commercial Banks, including Public & Private Sector Banks, which fail to achieve their priority sector targets/sub targets, are required to deposit their lending shortfall through the RBI (as per the annual allocation made by the Government of India) to the various Funds created by Government of India in NABARD, SIDBI and NHB.		
10	**10**	**In case of lending to weaker sections, the performance of private sector banks is very poor. In March, 2010, these banks achieved only 5.48% of the weaker section lending vis-à-vis the required 10 percent. The principal reason for such performance is stated to be less number of branches of these banks in semi-urban and rural areas. The Committee would expect the RBI to ensure that private sector banks also fulfill their social mandate.**	As per Reserve Bank's extant guidelines on lending to priority sector, a target of 40 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or Credit Equivalent amount of Off-Balance Sheet Exposures (OBE), whichever is higher, as on March 31st of the previous year, has been mandated for lending to the priority sector by domestic scheduled commercial banks, both in the public and private sector. Within this, a sub-target of 10 per cent of ANBC or Credit Equivalent amount of OBE, whichever is higher, as on March 31 of the previous year, has been mandated for lending to the weaker sections.	Accepted	Reserve Bank of India (RBI) vide letter dated 1st September, 2011 has advised the private sector banks, which have

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Recommendation/ Para No.</th><th>Recommendation</th><th>Action Taken by the Government</th><th>Whether accepted or not by the government</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>As reported by RBI, data on lending by private sector banks to weaker sections as on the last reporting Fridays of March 2008, 2009, 2010 and 2011 is given as under:
<table><tr><th>Year</th><th>Amount Outstanding (Rs. crore)</th><th>% of ANBC or CE of OBE, whichever is higher, as on March 31 of the previous year</th></tr><tr><td>2008</td><td>7,152.29</td><td>2.10</td></tr><tr><td>2009</td><td>15,832.31</td><td>3.89</td></tr><tr><td>2010</td><td>25,686.03</td><td>5.45</td></tr><tr><td>2011</td><td>30,077.69</td><td>5.64</td></tr></table>Source: RBI.

It may be observed from the above that private sector banks as a group were not able to achieve the target of 10% of ANBC or Credit Equivalent amount of OBE, whichever is higher, as on March 31 of the previous year. However, the performance of private sector banks in lending to weaker sections in absolute as well as in percentage term has shown increasing trend over the years. RBI has further reported that the banks which fail to achieve the priority sector targets have to contribute to Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)/other Funds as disincentive measures.

As per RBI data out of 21 Private Sector Banks, 15 Banks have not been able to achieve the stipulated target of 10% for lending to Weaker Sections under Priority Sector Lending as on last reporting Friday of March, 2011. These 15 private sector banks have been advised vide letter dated 1st September, 2011 to pay special attention to this aspect. They have also been advised to ensure that the guidelines of RBI on priority sector lending are implemented in letter and spirit and the same may be brought to the knowledge of the Board of the Bank.</td><td></td><td>not been able to achieve stipulated targets, to pay special attention to this aspect. RBI has also advised these banks to ensure implementation of the guidelines on priority sector lending in letter and spirit and to be brought to the knowledge of the Board of the Bank.</td></tr>
</table>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
11.	11	**Besides, the Committee find that the performance of banks under Differential Rate of Interest Scheme (DRI Scheme), intended for weaker sections, to be not very encouraging. As against the stipulated 1 percent lending under the scheme, the banks have achieved only 0.05%, 0.04% and 0.04% in the last three years. The reason for low disbursement is stated to be availability of other more attractive Government Sponsored schemes. The Committee would this recommend that this scheme should be reviewed to make it more attractive for availing loan by intended groups under this scheme.**	Reserve Bank of India and Indian Banks' Association have been advised to suggest modifications in the guidelines of the Differential Rate of Interest Scheme (DRI Scheme) so that it could be made more attractive and implemented in an effective manner.	Accepted	Reserve Bank of India has constituted a Committee to re-examine the existing classification and suggest revised guidelines with regard to priority sector lending classification. The matter is under consideration of the Committee.
12.	12	**<u>Debts Recovery Tribunals</u>** **Debts Recovery Tribunals (DRTs) were established with a view to ensuring fast adjudication and recovery of non-performing assets. However from the data furnished to the Committee, it is found that these tribunals have not been very effective in speedy disposal of cases. Since the year 2006-07 to year 2010, the number of cases pending with DRTs has grown from 25268 to 37616 cases. However the Ministry are merely deriving satisfaction that in the year 2010, the number of cases disposed of by DRTs have increased as against the year 2006-07. The Committee further note that DRTs are facing several problems such as acute shortage of**	The Central Government has established 33 Debts Recovery Tribunals (DRTs) and 5 Debts Recovery Appellate Tribunals (DRATs) established all over the country under the provisions of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 for expeditious adjudication and speedy recovery of debts due to banks and financial institutions and matters connected therewith. The Government does not interfere in the judicial functions of DRTs and DRATs. This Ministry has taken a number of steps to improve the functioning of these Tribunals: i. In order to fill up the vacant post in DRTs/DRATs the following steps have been taken: • All the vacant posts of Chairpersons in the DRATs have been filled up. • The offer of appointment to 5 candidates for appointment as Presiding Officers in DRTs, against the vacant posts, has been issued on 02.01.2012. Out of 5 candidates, 2 have already joined in DRT, Bangalore and DRT-III,	Accepted	The report of the Committee constituted by the Department is awited

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		personnel, lack of proper training of officers and staff taken on deputation and submission of incomplete cases/ applications by banks and financial institutions etc. The Committee are inclined to believe that the Government has become apathetic to the functioning of the DRTs. The Committee would therefore, recommend that the government should immediately conduct a thorough review of the functioning of the DRTs with a view to making them more vibrant and purposeful. The committee should be apprised of the steps taken in this regard within one month.	Chennai on 19.01.2012 and 23.01.2012 respectively. Remaining 3 Candidates are expected to join soon. • Selections for the vacant posts of Registrar/Assistant Registrar and Recovery Officers in DRTs have been made and the selected candidates will join the posts soon. • Regular advertisements are being published to select and appoint staff against the vacancies arising at the level of Groups 'B', 'C' & 'D'. Besides, all DRTs/DRATs have been advised to appoint stenographers, Data Entry Operators & Peons through outsourcing agencies against the vacant posts, for short terms to partially supplement the requirements of regular staff at such levels. ii. Instructions have been issued to all DRTs and DRATs to have internet connectivity. iii. A training module is being finalized for imparting induction and refresher training for all officers in DRTs including exposure programs for newly selected Presiding Officer and Chairpersons. iv. The meetings of Secretary (FS) with Registrar of DRTs/ DRATs is to be arranged on regular basis to facilitate smooth functioning of these Tribunals and meetings have been held on 22nd September, 2011 and 01st December, 2011. v. In respect of incomplete cases/applications by Banks & Financial Institutions, these institutions have already been advised through Indian Banks' Association to refer all such cases to DRTs after completing all formalities. vi. Complete computerization programme of all 38 DRTs/DRATs have been undertaken under e-Governance initiative of the Government through National Institute of Smart Governance (NISG). In pursuance of the recommendation of the Standing Committee for conducting a thorough review of the functioning of DRTs, a Committee has been constituted on 30.08.2011 as follows:- i. Dr. T. Ravi Shankar, Chairperson DRAT, Chennai - Chairman ii. Sh. S.G. Kulkarni, P.O., DRT, Pune - Member iii. Sh. O.P. Verma, P.O., DRT-I, Delhi - Member		

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Recommendation/ Para No.</th><th>Recommendation</th><th>Action Taken by the Government</th><th>Whether accepted or not by the government</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>iv. Smt. M.G. Padmini, P.O., DRT, Jablpur - Member
v. Sh. S.K. Sharma, P.O., DRT-II, Kolkata - Member.
The Committee will undertake a detailed review of the legal, structural, procedural, administrative, monitoring and supervisory system presently being followed by the DRTs/DRATs and recommend long term and short term measures required to make these Tribunals more effective and efficient to achieve the purpose for which these Tribunals were established.
The Committee may co-opt members, if considered necessary, and may specifically consult all stake holders including banks and financial institutions and representatives of lawyers. The Committee will submit its report within two months.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>13</td><td><u>Repudiation of insurance policies</u>
The Committee observe that the number of insurance policies repudiated have increased in the last three years as seen the data furnished by the Ministry. The Committee are surprised to note that IRDA does not maintain information on this aspect which is vital for protection of policyholder's interest. The Committee would like to know the reasons for the rising number of repudiated policies in recent years. They would recommend that IRDA should carry out an analysis of such policies to establish the reasons and take remedial measures to reduce the instances of policy repudiation.</td><td>Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) has stated that earlier, the information relating to repudiation of claims under policies issued by insurance companies was not being collected routinely but only as and when required, this data was currently being collected by IRDA on a quarterly basis and is being periodically reviewed. The data was earlier furnished for the year 2010-11 did not reflect the data of 5 companies as already mentioned therein.
While a gist of the data now collected for the four quarters of the year 2010-11 is given below for Life as well as Non-life companies, the company-wise details are as per statements attached:
<table>
<tr><th>Segment</th><th>Number of claims repudiated as per standard format now called for by IRDA</th><th>Total number of claims repudiated as earlier furnished*</th></tr>
<tr><td>Life</td><td>19,754#</td><td>19,284</td></tr>
<tr><td>Non-life</td><td>7,21,244#</td><td>4,61,373</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>7,40,998</td><td>4,80,657</td></tr>
</table>
* Excluded one Life Company and four non-life companies (mainly public sector companies in non-life which have huge business volumes and therefore more numbers)
# Company-wise details are at Annexure - I & II.</td><td>Accepted</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Recommendation/ Para No.</th><th>Recommendation</th><th>Action Taken by the Government</th><th>Whether accepted or not by the government</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
However, IRDA has pointed that when it comes to the percentage of claims repudiated to the actual number of claims, it works out to only 1.54% for life insurance and 2.41 % for non-life insurance.

An analysis of the data in respect of life insurance claims for the last 5 years shows that the percentage of claims settled out of the total number of claims is consistently around 96% or more. The total number of claims has been increasing in number each year and inspite of this, the percentage of claims paid is high.
<table>
<tr><th rowspan="2">Year</th><th rowspan="2">Total number of claims</th><th colspan="2">Claims paid</th><th colspan="2">Claims repudiated</th><th colspan="2">Claims pending</th><th colspan="2">Claims written back</th></tr>
<tr><th>No</th><th>%</th><th>No</th><th>%</th><th>No</th><th>%</th><th>No</th><th>%</th></tr>
<tr><td>2006-07</td><td>774796</td><td>748297</td><td>96.58</td><td>12168</td><td>1.57</td><td>14331</td><td>1.85</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>2007-08</td><td>740159</td><td>712741</td><td>96.29</td><td>10268</td><td>1.39</td><td>16777</td><td>2.27</td><td>373</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>2008-09</td><td>904758</td><td>865635</td><td>95.67</td><td>14193</td><td>1.57</td><td>19063</td><td>2.11</td><td>5867</td><td>0.65</td></tr>
<tr><td>2009-10</td><td>1071586</td><td>1031848</td><td>96.29</td><td>16213</td><td>1.51</td><td>17764</td><td>1.66</td><td>5761</td><td>0.54</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>1285759</td><td>1234014</td><td>95.97</td><td>19754</td><td>1.54</td><td>27888</td><td>2.17</td><td>4103</td><td>0.32</td></tr>
</table>
Further, when claims repudiated are correlated to the number of individual policies in force for life insurance, it works out to a mere 0.006%. It is 0.67% in the non-life sector when compared to the number of policies issued.

As regards the overall numbers of repudiated claims increasing, the rise is due to the fact that the sector is expanding rapidly and business volumes are increasing. The number of policies issued by insurance companies is increasing year on year. Over the last 5 years, the number of individual policies
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Recommendation/ Para No.</th><th>Recommendation</th><th>Action Taken by the Government</th><th>Whether accepted or not by the government</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
issued in life insurance has increased from four and a half crores to five and a half crores. In the non-life sector, the number of policies issued has nearly doubled from five and a half crores to ten crores. Accordingly, the number of claim intimations would also be more and therefore an increase in claim repudiations in numerical terms.

IRDA would like to mention that the benefits paid out in life insurance runs into several thousands of crores. In fact in 2009-10, the total benefits including death claims paid out in life insurance was ₹ 98578.20 crores. When it comes to number of claims, the number being settled is in fact increasing every year and the following are the figures relating to claims settlement in life insurance and non-life insurance during 2010-11:
<table>
<tr><th>Year</th><th>No of death claims settled in Life Insurance</th><th>Total amount settled (₹ in Crs)</th><th>No of claims settled in Non-Life Insurance</th><th>Total amount settled (₹ in Crs)</th></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>12,34,014</td><td>8937</td><td>2,55,35,978</td><td>37442</td></tr>
</table>
In addition to calling for numbers, from the perspective of policy holder protection, IRDA has called for data from all insurance companies relating to the reasons for repudiation, in order to carry out a detailed analysis of repudiated claims, carry out a root cause analysis, identify systemic issues and initiate corrective action, wherever necessary.

Further, IRDA has recently introduced the Integrated Grievance Management System (IGMS) which creates a central repository of the industry complaints database and enables generation and analysis of various types of reports. One of the categories analysed is the complaints relating to claim repudiations and this would help drill down to inherent issues, if any. The database is being built up and the required analysis would be carried out.
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Annexure-I

Repudiated Claims by Life Insurance Companies during the year 2010-11

Life Insurers	Claims repudiated under Group Business	Claims repudiated under Individual Business	Totals
	No of Lives	No of Lives	No of Lives
AEGON Religare Life Ins. Co.	0	58	58
Aviva Life Ins. Co.	29	277	306
Bajaj Allianz Life Ins. Co.	34	1913	1947
Bharti Axa Life Ins. Co.	5	99	104
Birla Sunlife Ins. Co.	6	491	497
Canara HSBC OBC Life Ins. Co.	6	47	53
DLF Pramerica Life Ins. Co.	0	16	16
Future Generali India Life Ins. Co.	2	268	270
HDFC Standard Life Ins. Co.	0	182	182
ICICI Prudential Life Ins. Co.	67	503	570
IDBI Federal Life Ins. Co.	19	88	107
India First Life Ins. Co.	12	34	46
ING Vysya Life Ins. Co.	1	81	82
Kotak Mahindra Life Ins. Co.	47	105	152
Max New York Life Ins. Co.	1299	1344	2643
MetLife Life Ins. Co.	46	111	157
Reliance Life Ins. Co.	9	1410	1419
Sahara India Life Ins. Co.	0	136	136
SBI Life Ins. Co.	767	1678	2445
Shriram Life Ins. Co.	2	407	409
Star Union Dia-chi Life Ins. Co.	9	4	13
Tata AIG Life Ins. Co.	32	714	746
Private Total:	**2392**	**9966**	**12358**
LIC of India	12	7384	7396
Industry Total:	**2404**	**17350**	**19754**

Annexure-II

Repudiation of claims by Non-Life Insurance Companies during the year 2010-11.

Name of insurers	No. of claims repudiated during 2010-11
National Insurance Co.	163,653
New India Assurance Co.	12,244
Oriental Insurance Co.	8,270
United India Insurance Co.	80,030
Agriculture Insurance Co. Ltd.	0
Export Credit Guarantee Corpoation Ltd.	1,056
ICICI Lombard General Insurance Co.	223,167
Star Health and Allied Insurance Co.	110,084
Reliance General Insurance Co.	50,980
Bajaj Allianz General Insurance Co.	0
HDFC Ergo General Insurance Co.	1,320
Iffko Tokyo General Insurance Co.	0
Tata AIG General Insurance Co.	4,642
Royal Sundaram Alliance Insurance Co.	5,643
Shriram General Insurance Co.	4,905
Universal Sompo General Insurance Co.	10,809
Bharti Axa General Insurance Co.	3,787
Cholamandalam MS General Insurance Co.	21,998
Future Generali India Insurance Co.	14,720
Apollo Munich Health Insurance Co.	3,822
Max Bupa Health Insurance Co.	95
Raheja QBE General Insurance Co	5
L&T General Insurance Co.	7
SBI General Insurance Co.	7
Total:	**721,244**

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
14.	**14**	**The Committee note that the Government has been announcing disinvestment of profit making PSUs to generate revenue and to finance a part of its social expenditure programme. They find that last year, a target of Rs.40,000 crore was fixed to be procured through disinvestment. However, subsequently this target was revised, as additional resources were raised through other avenues. The Committee find that this year, the Government has rescheduled its target and again a target of Rs.40,000 crore has been fixed to be received as disinvestment proceeds**	The disinvestment in CPSEs is pursued as per the policy in this regard to develop 'People ownership' of CPSEs and the revenue thus generated is used in selected social sector programmes of the Government.	Not Accepted	
15.	**15**	**The Committee observe that the disinvestment policy of the Government is principally governed by the motive of revenue generation instead of a rational policy to offload Government stake in public sector undertakings. This shows adhocism in Government policy towards disinvestment.**	The thrust of the disinvestment policy is the development of "People Ownership" of CPSEs to share in their wealth and prosperity, while retaining ownership and control with Government. Thus, the motive of the policy is not revenue generation. The approach to disinvestment is that (i) already listed profitable CPSEs not meeting the mandatory public shareholding of 10% are to be made compliant; (ii) all unlisted CPSEs having positive net worth, no accumulated losses and having earned net profit for three preceding consecutive years, are to be listed through public offerings out of Government shareholding or issue of fresh equity by the company or a combination of both; (iii) Further public offerings by listed CPSEs taking into consideration their capital investment requirements with GoI simultaneously or independently offering a portion of its shareholding in such CPSEs;	Not Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			(iv) Each CPSE has different equity structure, financial strength, fund requirement, sector of operation, etc.; factors that will not permit a uniform pattern of public offerings. Therefore, individual public offerings are to be considered on merit and on a case by case basis including linkage of offers for sale with fresh public offerings, wherever possible; and (v) Retaining at lease 51 per cent equity and management control in all cases of disinvestment through public offer. Based on the above factors while approving the disinvestment policy it was a conscious decision that all cases of disinvestment will be decided on a case-by-case basis. Thus, there is no adhocism as has been observed by the Committee. However, the matter of creating an instrumentality like a High Power Committee to formulate an annual action plan and improve upon the due diligence aspect in this regard is under examination.		
16.	**16**	**Further, while the policy direction for profit making PSUs is to offload Government stake, no concrete policy has been formulated with respect to loss making PSUs. They have been simply referred to Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE) functioning under Department of Public Enterprises for revival. The Committee, therefore, recommended that Government should formulate Disinvestment policy with clear direction and vision encompassing all categories of public sector undertakings.**	The thrust of disinvestment policy being "People Ownership" to share the wealth and prosperity of the CPSEs; the shares of profitable CPSEs only will command confidence of the investor community and the public. The shares of loss making CPSEs would neither evoke investors' interest nor they can share the wealth (already depleted due to losses), therefore the efforts would continue to revive CPSEs through BRPSE, to facilitate their transition, into profitability before they become eligible for listing. The CPSEs which are not revivable are taken up on a case-by-case basis for decision either to close down or to disinvest them to strategic partners. On these basis, the Government has decided disinvestment of 100 per cent equity in favour of a strategic partner in cases of Scooters India Limited, Tyre Corporation of India Limited and Central Inland Water Transport Corporation Limited.	Not Accepted	